बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

(1) मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनाः– इस योजना का उदेश्य गरीब परिवार को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना, बिवाह के निबंधन को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की कन्या को विवाह के समय मात्र 5000/– (रूपये का भुगतान कन्या के नाम चेक डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा करना है।

(2) मुख्य मंत्री कन्या सुरक्षा योजना :–इस योजना का उद्धेश्य भ्रूण हत्या को रोकना, जन्म निबंधन तथा कन्या जन्म को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत कन्या जन्म के समय मात्र 2000 रू0 की राशि अनुदान के रूप में यू0टी0 आई0 के चिल्ड्रेन कैरियर वैलेस्ड फंड में कन्या के नाम से निवेश कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

(3.) अंतर्जातीय विवाहः– इस योजना का उदेश्य हिन्दू समाज में व्याप्त जाति प्रथा के उन्मूलन हेतु अन्तर्जातीय विवाह करने वाली महिलाओं को प्रोत्साहन स्वरूप आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजनान्तर्गत अन्तर्जातीय विवाह करने वाली महिला को 25000 रू0 राशि का भुगतान राष्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से किया जाता है।

(4.) मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजनाः– मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अन्तर्गत महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक सशक्तिकरण एवं नवचारी योजना के निमित विभिन्न योजनाओं के संचालन की स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसमें अनैतिक पणन एवं घरेलू हिंसा से पीड़ित बच्चों एवं महिलाओं के लिए विशेष योजनाऐं बनायी गयी है। यथा हेल्पलाईन, संरक्षण गृह, अल्पावास गृह ,पालनघर विवाह, राज्य महिला सूचना एवं संसाधन केन्द्र तथा महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों का गठन, पोषण तथा क्षमता निर्माण आदि।

(5.) किशोर न्याय संबधी कार्यः– किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) के अर्न्तगत राज्य में दो उत्तर रक्षा गृह, पटना एवं मुज्जफरपुर में एक विशेष गृह पटना में, तथा 10 पर्यवेक्षण गृह यथा दरभंगा, छपरा,गया, भागलपुर

,मुज्जफरपुर ,आरा,पूर्णिया, बेतिया,पटना,मुंगेर जिलों में एवं दो बाल गृह पटना एवं बेगूसराय तथा एक बालिका गृह (निशांत) पटना में संचालित किया जा रहा है। राज्य के 38 जिलों में किशोर न्याय परिषद की स्थापना की गयी है।

वस्त्र वितरण कार्यक्रमः– इस योजना का उदेश्य समाज के असाह एवं वंचित वर्ग के सदस्यों को कम्बल का मुप्त वितरण के माध्यम से राहत पहुँचाना है। लाभार्थी को राज्य के निवासी होना चाहिए।

(6.) मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजनाः– इस योजना का उदेश्य विकलांगजनो को टिकाउ,सुविकसित एव मानकीकृत कृत्रिम अंग एव उपकरण प्राप्त कराना है। इस योजना के लाभ लेने हेतु संबंधित जिला के सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग से संर्पक किया जा सकता है । 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता से संबंधित विकलांगता प्रमाण पत्र एवं जिनकी वार्षिक आय एक लाख से कम हो उन्हे इस योजना के तहत तिपहिया साईकिल , व्हील चेयर,श्रवण यंत्र बैशासी कैलीपर आदि उपकरण तथा अंग प्रदान किया जाता है।

(7.) सामेकित बाल विकास योजनाः– इस योजना के अन्तर्गत 6 वर्षो के आयु के बच्चो, गर्भवती/शिशुवती महिलाओं/किशोरी बालिकाओ को ग्राम स्तर पर स्थापित आंगनबाड़ी केन्द्रो के माध्यम से 6 सामेकित सेवायें यथा–पूरक पोषाहार,स्कूल पूर्व शिक्षा, स्वास्थ जॉच, संदभित सेवा , प्रतिरक्षीकरण एवं पोषाहार स्वास्थ शिक्षा उपलब्ध करायी जाती है। इसका संचालन राज्य स्तरीय आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, 38 जिला स्तरीय आई0सी0डी0एस0 कोषांग एवं 544 बाल विकास परियोजना कार्यालय, 90000/– आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से किया गया है।

(a) पूरक पोषाहार कार्यक्रमः– राज्य के कुल 544 बाल विकास परियोजनाओं में 91677, आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत है। जिनके माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को प्रति केन्द्र 6 माह से 6 वर्ष तक के 40 वच्चों 16 गर्भवती/शिशिवती महिलाओं 28 कुपोशित, अति कुपोशित बच्चों एवं 3 किशोरी बालिकाओं को माह में 25 दिनों तक 4.00 रू0 प्रति बच्चा प्रतिदिन 5.00 रू0 प्रति महिला (गर्भवती/शिशुवती) प्रति बालिका प्रतिदिन एव 6.00 रू0 प्रति बच्चा (अतिकुपोषित) की निर्धारित दर से पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है। प्रतिमाह के 15 वीं तारिख को (T.H.R.) का वितरण किया जाता है। अब लाभूक पूरे माह के लए एक ही दिन पोषाहार प्राप्त कर रहे है। पूरक पोषाहार के अन्तर्गत 79 लाख से अधिक बच्चें एवं महिलायें सीधे तौर पर लाभान्वित हो रहे है। वर्तमान व्यस्था के तहत

इसके लिए राशि आंगनबाड़ी सेविकाओ एव पोषाहार कियान्वयन समिति की अध्यक्ष के संयुक्त खाता में भेजी जाती है। दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से राशि की निकासी कर राशन का क्रय स्थानीय तौर पर किया जाता है। इस पर होने वाले व्यय का वहन 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार तथा शेष 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

आंगनबाड़ी बच्चों के लिए पोषाक योजनाः– स्कूल पूर्व शिक्षा के सुद्वढीकरण हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रो पर 3– 6 वर्ष के नामांकित बच्चों को राज्य सरकार ने अपने संसाधन से प्रति वर्ष प्रति बच्चा 250 रू0 की दर से पोषाक उपलब्ध कराने का एक नया अध्याय प्रारंभ किया है।

(b) दुलार रणनीति योजनाः– आई0सी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत सामुदायिक सहभागिता को प्रभावशाली ढ़ग से सुदृढ़ करने हेतु यूनिसेफ के सहयोग से राज्य के सभी 38 जिलों में दुलार रणनीति योजना को मूर्त्त रूप दिया जा रहा है।

(c) एन0पी0ए0जी0 (राज्य योजना) :– राष्ट्रीय पोषाहार अभियान के तहत राज्य के दो जिलों यथा– गया एवं औरंगाबाद को सम्मिलित किया गया है। आंगनबाड़ी नेटवर्क के माध्यम से समाज के अत्यन्त कमजोर वर्ग के परिवार की कुपोषित (35 किलो से कम वजन वाली) किशोरी बालिकाओं को प्रतिमाह 6 किलों अनाज उपलब्ध कराया जाता है।

(8.) मुख्यमंत्री निःशक्तजन शिक्षा ऋण योजनाः– 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता से प्रभावित व्यक्ति जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.00 लाख रूपया तक शहरी क्षेत्र/ 1.60 लाख ग्रामीण क्षेत्र में हो उन्हे मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उच्च शिक्षा हेतु 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के दर से अधिकतम 5. 00 लाख तक ऋण दिये जाने का प्रावधान है। ऋण अदायगी 20 किस्तों में करनी होगी । इस योजना के लाभ लेने हेतु प्रवंध निदेशक बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम से संर्पक किया जा सकता है।

(9.) मुख्यमंत्री निःशक्तजन स्वरोजगार ऋण योजनाः– 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता से प्रभावित वैसे व्यक्ति जिनकी परिवारिक वार्षिक आय 2. 00 लाख रू0 शहरी क्षेत्र/1.60 लाख रू0 ग्रामीण क्षेत्र में हो तथा जिनकी आयु 18 से 65 के बीच में हो उन्हे स्वरोजगार हेतु 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से अधिकतम 1.5 लाख ऋण दिये जाने का प्रावधान है। ऋण अदायगी 20 किस्तों में करनी होगी। इस योजना के लाभ लेने हेतु प्रवंध निदेशक, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम एव संबंधित जिले के सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग से संर्पक किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री भिक्षावृति निवारण योजना
(उपलब्धि जुलाई 2017 तक)

मुख्यमंत्री भिक्षावृति निवारण योजना बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य भिक्षुकों एवं निराश्रित जनों के अधिकार व सम्मान की रक्षा करने व उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करना हैं। भिक्षुकों के कल्याण के उद्देश्य से राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री भिक्षावृति निवारण योजना (पहचान) बनाई गई है जिसके तहत भिक्षुक जनों की पहचान पत्र वितरित करते हुए सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ाव स्थापित करना, कौशल प्रशिक्षण के द्वारा रोजगार से जुराव स्थापित करना, वृद्ध, पुर्णतः निःशक्त एवं लावारिश अवस्था में पाये जाने वाले भिक्षुकों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना एवं नशा विमुक्तिकरण के द्वारा उनका पुनर्वास सुनिश्चित करना है। वर्तमान में यह योजना बिहार के 12 जिलों यथा पटना, गया, नालन्दा, रोहतास, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पुर्णियां, भागलपुर, अररिया, कटिहार, वैशाली एवं सारण में कार्यान्वित है।

योजना की प्रमुख उपलब्धियां

भिक्षुकों का सर्वेक्षणः-

वर्तमान में योजना के तहत 12 जिलों यथा पटना, गया, नालन्दा, रोहतास, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पुर्णियां, भागलपुर, अररिया, कटिहार, वैशाली एवं सारण में 9879 भिक्षुकों का सर्वेक्षण कर पहचान किया गया।

भिक्षुकों का पहचान पत्र वितरणः-

उपरोक्त सर्वेक्षित भिक्षुकों में से 4219 भिक्षुकों का पहचान पत्र निर्गत किया गया है ताकि पहचान पत्र के आधार पर मुख्यमंत्री भिक्षावृति निवारण योजना के तहत संचालित गतिविधियों एवं सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कराया जा सके।

भिक्षुकों के लिये पुनर्वास/अल्पावास गृहः-

पुनर्वास गृहों में महिला एवं पुरूष भिक्षुकों को चिन्हित कर मूलभूत आवश्यक सुविधाएँ जैसे- भोजन, वस्त्र, चिकित्सा एवं परामर्श के साथ आवासीय सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है। वर्तमान में योजना के तहत 7 जिलों यथा पटना, गया, नालन्दा, रोहतास, मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं पुर्णियां में पुनर्वास गृहों की स्थापना की जा चुकी है। इन गृहों के माध्यम से 3350 भिक्षुकों को पंजीकृत करते हुए 2100 भिक्षुकों को विभिन्न माध्यमों से पुनर्वासित किया गया। वर्तमान में पुनर्वास गृहों में 600 लाभार्थीगण आवासित है।

पुनार्वासित किये गये क्षेत्र	लाभार्थियों की संख्या
परिवार से जुराव (Repatriation)	1738
रोजगार/ जीविका से जुराव	98
व्यवसायिक प्रशिक्षण/ कौशल कुटीर से जुराव	197
अवासित गृह का कर्मचारी बनाया गया	29
लाभार्थी के विचार से रिलीज किया गया	38

बसेरा (Day night Shelter with Kitchen)

पायलट आधार पर पटना के दो मुख्य चिन्हित स्थलों पर (डे-नाइट शेल्टर विथ किचेन) की स्थापना की जा चुकी है। पटना के बाईपास क्षेत्र में अतिनिर्धन पुरूषों हेतु 50 बेड की क्षमता का एवं पुनाईचक, पटना में 20 अतिनिर्धन परिवारों को अवासित करने की क्षमता वाले केन्द्रों की स्थापना की गई है। इन केन्द्रों में अवासित लाभुक वैसे कामगार है जो दिनभर के काम के बाद आश्रयहीनता के कारण सार्वजनिक स्थलों पर रात्रि विश्राम करते है। इन लाभुकों को निःशुल्क आवासीय सुविधा, शुद्ध पेयजल आदि के साथ-साथ अनुदानित दर पर भोजन उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान में उक्त केन्द्रों के माध्यम से 82 अतिनिर्धन लाभान्वित हो रहे है।

बसेरा का नाम	क्षमता	कुल पंजीकृत		वर्तमान में स्थिति (लाभार्थी)
बसेरा (पुरूष)	50 (पुरूष)	70	171 लाभुक	36
बसेरा (महिला)	20 (परिवार)	27(परिवार) कुल लाभुक-95		46
			कुल	82

बाल भिक्षुकों के पुनर्वास हेतु शिक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापनाः

बाल भिक्षुकों के पुनर्वास हेतु सभी जिलों से अलग से शिक्षण एवं प्रशिक्षण की स्थापना न करके आई.सी.पी.एस. के तहत संचालित बाल गृहों से लक्षित बच्चों को जुड़ाव स्थापित कर बाल भिक्षुकों, जो सार्वजनिक स्थलों, जैसे ट्रेन, बस, पड़ाव, मंदिर, मस्जिद, इत्यादि स्थलों पर भिक्षाटन कर, कूड़ा बिन कर, छोटी-मोटी सामग्री बेचकर जीवनयापन कर रहे है ऐसे बाल भिक्षुकों (अधिकतम 14 वर्ष) को Rescue, उचित मार्गदशन, परामर्श चिकित्सीय देखभाल, नशामुक्ति, समुचित देखरेख, संरक्षण एवं शिक्षण-प्रशिक्षण के माध्यम पुनर्वासित किया जाता है।

<u>आवासीय व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र/ कौशल कुटीर की स्थापना:-</u>

भिक्षुकों को प्रशिक्षण एवं कौशल विकास करने के उद्देश्य से पटना जिला में आवासीय व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र **"कौशल कुटीर"** का संचालन किया जा रहा है। इन केन्द्र के माध्यम से 408 भिक्षुकों को पंजीकृत करते हुए 280 भिक्षुकों को प्रशिक्षण के उपरान्त विभिन्न कार्यों यथा होटल, सुरक्षा प्रहरी, निर्माण कार्य आदि में नियोजित किया गया। वर्तमान में 51 भिक्षुकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

<u>गरम कपड़े एवं कम्बल वितरण:-</u>

वित्तीय वर्ष 2015-16 तक कुल 3850 कम्बल एवं 1570 गरम कपड़े का विरण किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में 2510 कम्बल एवं 2510 गरम कपड़े का भिक्षुकों में वितरण किया गया है।

<u>स्वयं सहायता समूह का गठन (सी.बी.एस.जी.):-</u>

अतिनिर्धन जनों से बचत कि आदत का विकास करने एवं उनका सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण करने के उद्देश्य से समुदाय आधारित बचत समूहों का गठन किया जा रहा है। वर्तमान में 22 सी.बी.एस.जी. का गठन कर 295 अतिनिर्धनों के साथ 117530/- (एक करोड़ सत्रह लाख पांच सौ तीस) रूपये कि बचत जमा की गयी है।

<u>स्वास्थ्य जाँच एवं प्रमाणीकरण शिविर का आयोजन:-</u>

सर्वेक्षित आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर जिला स्तर पर वृहत स्वास्थ्य जाँच शिविरों का आयोजन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में 16 शिविरों का आयोजन कर कुल 2453 लाभुकों की स्वस्थ जाँच कराते हुए 228 दिव्यांग अतिनिर्धन का विकलांगता प्रमाणीकरण किया गया

<u>प्रोड्यूसर ग्रुप:-</u>

योजना के तहत चिन्हित लाभुकों को जुट/हैंडीक्राफ्ट से निर्मित्त उत्पादों में दक्षतापूर्वक कार्य करने हेतु 44 लाभूकों को प्रशिक्षित कर **"मुक्ता सक्षम उत्पादक समूह"** का गठन किया गया है। इनके द्वारा तैयार सामग्रियों की बाजार में बिक्री कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे है। प्रोड्यूसर ग्रुप सूक्ष्म, लघु और उधम मंत्रालय के द्वारा पंजीकृत है।

<u>वर्कशॉप, सेमिनार एवं कांफ्रेन्स का आयोजन (IEC):-</u>

एम.बी.एन.बाई के अन्तर्गत त्रि-स्तरीय (लोकल स्तर, जिला स्तर एवं राज्य स्तर) IEC का आयोजन समय- समय पर किया जाता है।

1. सभी सेवा कुटीर एवं शांति कुटीर के द्वारा संबंधित जिला में प्रत्येक महीना मुख्यमंत्री भिक्षावृति निवारण योजना के बारे में विभिन्न भिक्षुक बहुल क्षेत्र में जागरूकता अभियान का आयोजन किया जाता है।

2. जिला स्तर समय- समय पर कार्यशाला का आयोजन किया जाता है।

3. वर्तमान वित्तीय वर्ष में एम.बी.एन.बाई. कार्यान्वित 7 जिलों में आम जनता में जागरूकता फैलाने हेतु पटना जिला में मिनी मेराथन का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 500 लोगों ने भाग लिया जिसमें 50 भिक्षुकों ने भी भाग लिया। बाकी 6 जिले यथा गया, नालन्दा, रोहतास, मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं पुर्णियां जिले में फरवरी महीना के दिनांक 26 को एक साथ मिनी मैराथन का आयोजन किया गया जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया।

4. दान नहीं सम्मान के अन्तर्गत पटना जिला के सभी प्रखण्ड में एम.बी.एन.बाई. के बारें में होर्डिंग लगाया गया है।

<u>प्रोग्राम मैनेजमेन्ट यूनिट (MIS):-</u>

MIS भिक्षुकों केा ट्रैकिंग एवं उनके ऊपर नजर रखने हेतु वेब बेस्ड इनेबल्ड MIS किया गया है जिसमें भिक्षुकों के ट्रैकिंग के अलावा उनके लिये पहचान पत्र भी बनाया जाता है। इसके लिये 3i InfoTech कम्पनी को MIS का विकास हेतु रखा गया है। मुख्यमंत्री भिक्षावृति निवारण योजना अन्तर्गत सर्वेक्षित किये जिलों यथा पटना, गया, रोहतास, नालन्दा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पुर्णियां, भागलपुर, अररिया, कटिहार, वैशाली एवं सारण का भिक्षुकों की संख्या एवं उसका विस्तृत विवरण एस.एस.यू.पी.एस.डब्लू. के बेवसाईट पर अपलोड किया जा चुका है।

'सक्षम' राज्य कार्यालय में Monitoring Cell अवस्थित है जिसमें मुख्यमंत्री भिक्षावृति निवारण योजना अन्तर्गत संचालित सभी गृहों की गतिविधियों का ऑनलाईन अनुश्रवण किया जाता है। Monitoring Cell Computer से सभी गृहों के ब्वउचनजमत से लिंक किया गया है जिसके माध्यम से होम की सभी गतिविधि पर नजर रखा जाता है।

<u>मुख्यमंत्री भिक्षावृति निवारण योजना का वित्तीय स्थिति:-</u>

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल 6,13,91,729/- रूपये व्यय किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में 30 जून 2017 तक कुल 1,38,36,430,00/-.रूपये व्यय किया गया है।